

प्रेषक,

विनोद कुमार पाठक,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

डा० आरती,
चिकित्सा पदाधिकारी,
लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना।

पटना, दिनांक .

विषय दिनांक 19.03.2025 से 21.04.2025 तक निजी कारणों से विदेश (यू०एस०ए०) जाने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में ।

महाशया

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना के पत्रांक 194 दिनांक 04.02.2025 के प्रसंग में नियमानुसार आपको निम्नांकित शर्तों के साथ दिनांक 19.03.2025 से 21.04.2025 तक निजी कारणों से विदेश (यू०एस०ए०) जाने की अनुमति प्रदान की जाती है—

- 1) अवकाश अवधि का विस्तार अनुमान्य नहीं होगा ।
- 2) प्रवास के दौरान धनोपार्जन हेतु अपने पेशे का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा ।
- 3) यह यात्रा बिल्कुल निजी होगी तथा किसी भी तरह का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
- 4) सभी तरह का व्यय स्वयं वहन करना होगा ।
- 5) प्रवास के दौरान किराई भी तरह का लेखे का भुगतान प्राप्त नहीं किया जायेगा ।
- 6) डा० आरती मुख्यालय छोड़ने के पूर्व अपने नियंत्री पदाधिकारी/विभाग को विदेश (यू०एस०ए०) प्रवास के दौरान सम्पर्क का पता एवं सम्पर्क नम्बर उपलब्ध करायेगे ।
- 7) एतद्संबंधी अवकाश संचित उपार्जित अवकाश से सामाजित होगा ।
- 8) विदेश यात्रा से लौटने के बाद अपने पार-पत्र की छाया प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(विनोद कुमार पाठक)

ज्ञापाक

141(3)

/स्वा०, पटना, दिनांक 10/03/25

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), वीरचन्द पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना/डा० ऋचा सिंह, डा० राजेश रंजन एवं डा० सीमा सहाय, चिकित्सा पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, 9 एवं 17 स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

W. K. 8/125
सरकार के अवर सचिव